न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 24/2015 (डूंगरपुर डिक्री)

रमेश पिता स्वर्गीय नारायण लबाना, जाति लबाना, निवासी माडा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर लैण्ड तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
2. गणपत पिता स्वर्गीय भूरा लबाना, जाति लबाना, निवासी माडा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का॰अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर दिनांक
29.06.2015 प्रकरण सं0 93/2011

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजीव भटनागर अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री लालसिंह चुण्डावत अभिभाषक रे.सं. 2

———::———

निर्णय **दिनांक 08–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा माडा के खाता संख्या 267/240 जमाबन्दी संवत् 2051 से 2054 में कुल किता 18 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी व अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज है, जिसमें वादी के चाचा मृतक हवचन्द उर्फ शोभाचन्द का 1/2 हिस्सा है, जो लाऔलाद फोत हो जाने से उनकी सेवा चाकरी वादी द्वारा की गयी है, जिससे हवचन्द उर्फ शोभाचन्द ने वादी के पक्ष में दिनांक 31–12–2005 को वसीयत निष्पादित कर दी, जो नोटरी से प्रमाणित है। अतः वादी को खाता संख्या 267/240 की कुल किता 18 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 5 तनकियां कायम की गयी तथा उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 29–06–2015 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:30 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लालसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि वादी ने साक्ष्यों से अपने वाद को साबित कराया है कि हवचन्द उर्फ शोभाचन्द वादी के चाचा होकर लाऔलाद फोत हुए तथा उपके द्वारा वसीयत वादी के पक्ष में की गयी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादी का वाद डिक्री किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवचेन करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न वसीयतनामा 100/– रूपये के स्टाम्प पर होकर अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। अपीलान्ट/वादी ने उक्त वसीयतनामा को नोटरी से प्रमाणित कराये जाने के आधार पर वसीयतकर्ता हवचन्द उर्फ शोभाचन्द के खाते की आराजी की खातेदारी घोषणा चाही है, किन्तु उसके समर्थन में जो गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, उनसे वसीयतनामा प्रमाणित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 29–06–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:30 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

रमेश पिता स्व. नारायण, जाति लबाना नि0 माडा, तहसील व जिला डूंगरपुर। बनाम **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं.....**24/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**डूंगरपुर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**06**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री संजीव भटनागर**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री लालसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 29–06–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**08**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:30 IST
Reason: SelfAttested